Order Sheet [Contd] Case No - B.A -162 / .17बी.ए.

| Date of Order or proceeding with Signature of presiding Parties or Pleaders where necessary 02-05-17 Uरिवादी की ओर से श्री विकास कांकर अधिवक्ता अधिवक्ता श्री. पींठएन०मटेले द्वारा मय बकालातनामा के एक आवेदनपत्र वास्ते समर्पण अंतर्गत धारा 44(2) जा.फो. का पेश कर निवेदने किया कि आरोपी/आवेदक अशोकसिंह परिहार प्रकरण में समर्पण करना चाहता है प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक/आरोपी के चिरुद्ध परिवादी मप्रमक्षेति विकम्पनी मों के द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत परिवाद पेश किया गया है जिसमें कि आरोपी/आवेदक के विरुद्ध वारंट जारी है। आवेदक/आरोपी प्रकरण में वांछित होने से उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। आरोपी का जेल वारंट बनाकर उप जेल गोहद भेजा जावे। आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री पीठएन०मटेले द्वारा आरोपी का नियमित जमानत आवेदनपत्र पर उमय पक्ष को सुना गया। आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदक/आरोपी की नियमित जमानत आवेदक/अरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदक/आरोपी द्वारा कभी मी विद्युत की चोरी नहीं की गई उनके द्वारा सम्पूर्ण विद्युत की राशि अदा कर दी गई है। आवेदक जमानत के समस्त शर्तों का पलान करेगा अतः आवेदक को उचित जमानत मुंचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया, गया। आवेदक/आरोपी के विरुद्ध परिवादी विद्युत किमान ने विद्युत को द्वारा धारा 135 विद्युत अधिनियम का परिवादफत्र न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें कि आरोपी को चैंकिंग करते समय विद्युत चोरी डायरेक्ट तार खालकर आपराधिकृत रूप से पम्प चलाकर 7.5 एच.पी. का पम्प चलाया जा रहा था। प्रकरण में आरोपी ने आज स्वयं न्यायालय में समर्पण किया है। आरोपी ने विद्युत विल की राशि जमा करने के संबंध में रशीद पेश की गई है। प्रकरण के निराकरण में अभी समय |
|---|
| अधिवन्ता श्री पी०एन०भटेले द्वारा मय बकालातनामा के एक आवेदनपत्र वास्ते समर्पण अंतर्गत धारा 44(2) जा.फौ. का पेश कर निवंदन किया कि आरोपी/आवेदक अशोकिसेंह परिहार प्रकरण में समर्पण करना चाहता है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक/आरोपी के बिरूद्ध परिवादी म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी मौ के द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत परिवाद पेश किया गया है जिसमें कि आरोपी/आवेदक के विरूद्ध वारंट जारी है। आवेदक/आरोपी प्रकरण में वांछित होने से उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। आरोपी का जेल वारंट बनाकर उप जेल गोहद भेजा जावे। आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री पी०एन०भटेले द्वारा आरोपी का नियमित जमानत आवेदनपत्र पर उभय पक्ष को सुना गया। आवेदक/आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री पी०एन०भटेले द्वारा आरोपी का नियंदन किया गया है कि आवेदक/आरोपी द्वारा कभी भी विद्युत की चोरी नहीं की गई उनके द्वारा सम्पूर्ण विद्युत की राशि अदा कर दी गई है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पलान करेगा अतः आवेदक को उचित जमानत की समस्त शर्तों का पलान करेगा अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवंदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आवेदक/आरोपी के विरूद्ध परिवादी विद्युत विभाग ने विद्युत के द्वारा धारा 135 विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र नयाद्वालय में पेश किया गया है। जिसमें कि आरोपी को चैंकिंग करते समय विद्युत चोरी डायरेक्ट तार डालकर आपराधिकृत रूप से पम्प चलाकर 7.5 एच.पी. का पम्प चलाया जा रहा था। प्रकरण में आरोपी ने आज स्वयं न्यायालय में समर्पण किया है। आरोपी ने विद्युत विल की राशि जमा करने के |
| VILLE I VILLE I I VILLE I I I I I I I I I I I I I I I I I I |

लगने की संभावना है एवं आरोपी के द्वारा बकाया बिल की राशि भी जमा कर दी गई है। दशा में आवेदक/आरोपी की ओर से 15,000/— (पन्द्रह हजार रूपये) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोडा जाये।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है। प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 24.06.2017 .को पेश हो।

> (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद